<u>लोक सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्नै संख्या 5297</u>

<u>27 अप्रैल, 2015 को उत्त7र के लिए</u>

इस्पात सामग्रियों का आवंटन

†**5297. श्री विद्युत वरण महतो:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में लघु पैमाने और अनुषंगी क्षेत्रों के लिए लौह और इस्पात सामग्रियों के राज्य-वार आवंटन का अनुरक्षण कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आवंटन नीति क्या है?

<u>उत्त)र</u>

इस्पाततऔर खान राज्यवमंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) : जी , हां।

(ख) : इस्पाात मंत्रालय ने मुख्यी उत्पा दकों नामश: सेल और आरआईएनएल से स्मॉउल स्कोल इंडस्ट्री यूनिटों (एस.एस.आईएस) और अन्यध (सरकारी विभागों को कुल आवंटन का 30 प्रतिशत तक) को इस्पाइत सामग्रियों की आपूर्ति स्मॉल स्के)ल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एस.एस.आई.सीएस) और नेशनल स्मॉइल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एन.एस.आई.सीएस) के जरिए करने के लिए एक स्कीआम बनाई है। स्कीमम के अनुसार, इस्पातत मंत्रालय इन कारपोरेशनों को विभिन्नए प्रकार की इस्पारत सामग्रियों का राज्यनवार वार्षिक आबंटन करता है, जिसके आधार पर मुख्या उत्पानदक इन कारपोरेशनों को समय-समय पर उनकी मांगों के अनुसार आपूर्ति करते हैं। ये कारपोरेशन तत्पलश्चारत अपने संबंधित राज्यों में स्मॉकल स्के-ल इंडस्ट्री यूनिटों (एस.एस.आईएस) को इस्पाात सामग्री की आपूर्ति करते हैं, जिनके लिए उन्हें हैंडलिंग प्रभार के रूप में संयुक्तआ संयंत्र समिति (जेपीसी) निधि से प्रति मिट्रिक टन लगभग 500 से 550 रुपए के बीच प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

*****